

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2022

क्र. एफ-1-173-2021-दो-सी-एक्स.—मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 166 एवं 167, दिनांक 12 अप्रैल 2022 में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, 2021 की धारा 4 में गठित दावा अधिकरण का कार्यकाल दिनांक 26 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है. गठित दावा अधिकरण के कार्यकाल में तीन माह के लिए दिनांक 26 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए वृद्धि की जाती है.

क्र. एफ-1-173-2021-दो-सी-एक्स.—As Per Notification Number 166 and 167, published in Madhya Pradesh Gazette, the tenure of the Claims Tribunal Constituted Under Section 4 of the Madhya Pradesh Lok Evam Niji Sampatti Ko Nuksaan Ka Nivaran Evam Nuksaani Ki Vasuli Adhiniyam, 2021 is ending on 26th July 2022. The tenure of the Constituted Claims Tribunal is extended for a duration of three months till 26th October 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एस. मीना, उपसचिव.